R.No. MAHENG/2004/14130
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

खण्ड XIII ♦ अंक 6
दिसंबर 2016

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग और वित्त गतिविधियों के मुख्य अंश

बैंकिंग विनियमन

जनवरी

- रिज़र्व बैंक ने 7 जनवरी 2016 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अनुमति दी कि वे उन ग्राहकों को आंशिक क्रेडिट संवर्धन (पीसीई) सहित गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्रदान करें जो भारत में किसी भी बैंक से कोई निधि आधारित सुविधा का लाभ नहीं उठाते हैं।

फरवरी

- रिज़र्व बैंक ने 11 फरवरी 2016 को बैंकों को अनुमति दी कि वे अपनी निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) में अन्य तीन प्रतिशत तक धारित सरकारी प्रतिभूतियों की गणना चलनिधि कवरेज़ अनुपात के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) के अंतर्गत कर सकते हैं।
- रिज़र्व बैंक ने 25 फरवरी 2016 को अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनरुज्जीवित करने के लिए अपने विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के कुछ पहलुओं को संशोधित और स्पष्ट भी किया।

मार्च

- रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2016 को बैंकों की विनियामकीय पूंजी के निर्धारण के प्रयोजन से तुलन पत्र की कुछ मदों के संव्यवहार में कुछ संशोधन किए।

अप्रैल

- रिज़र्व बैंक ने 21 अप्रैल 2016 को सूचित किया कि निवेश परामर्शी सेवाएं (आईएएस) प्रदान करने के इच्छुक बैंक ऐसा इस प्रयोजन के लिए स्थापित अलग सहायक संस्था या मौजूदा सहायक संस्थाओं के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसा केवल यह सुनिश्चित करने के बाद करना होगा कि बैंक और सहायक संस्था के बीच आर्म्स लेंथ संबंध है।
- रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2016 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) समीक्षाओं का कैलेंडर के बारे में अधिसूचित किया जिसके मामले में जिलानी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की जरूरत है।

मई

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर 05 मई 2016 को ''निजी क्षेत्र में वैश्विक बैंकों के लाइसेंसिंग पर 'ऑन टैप' हेतु प्रारूप दिशानिर्देश'' जारी किए।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 मई 2016 को अपने निर्देशों में संशोधन करते हुए उन निकायों के लिए ऋण सूचना कंपनियों(सीआईसी) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश(एफडीआई) की उच्च सीमा स्वीकृत की जिनका नियमित परिवेश में ऋण आसूचना ब्यूरो परिचालित करने का स्थापित ट्रैक रिकार्ड हो।

जून

- रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2016 को 'दबावग्रस्त आस्तियों की पोषणीय संरचना हेतु योजना' (एस4ए) पर दिशानिर्देश जारी किए ताकि उधारकर्ता की दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने की क्षमता को मजबूत किया जा सके और वास्तिविक आस्तियों की स्थिति को वापस सुधारा जा सके।
- रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2016 को सभी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया कि 30 सितंबर 2016 को समाप्त छमाही के लिए भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) वित्तीय विवरण प्रोफोर्मा प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को 30 नवंबर 2016 तक प्रस्तुत करें।
- रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श के बाद 30 जून 2016 को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के नियमों को संशोधित किया और 1 जून 2016 से पीएमजेजेबीवाई के नियमों में लियन खंड शामिल किया।

जुलाई

- भारत सरकार ने 08 जुलाई 2016 को भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसई) को केंद्रीय रिकार्ड रजिस्ट्री (सीकेवायसीआर) के रूप में कार्रवाई करने और इसके कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया।

  रिज़र्व बैंक ने 21 जुलाई 2016 को यह निर्णय लिया कि पिछली सीमाओं के साथ-साथ बैंकों को चलनिधि कवरेज अनुपात (अेएलएलसीआर) के अंतर्गत उनके द्वारा प्रतिधारित सरकारी प्रतिभूतियों को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं(एनडीटीएल) के 1 प्रतिशत तक शामिल कर सकते हैं।

अगस्त

- रिज़र्व बैंक ने 04 अगस्त 2016 को चेक नकारने से संबंधित प्रक्रिया में संशोधन किया। बैंकों को यह विवेकाधिकार होगा कि वे खाताधारकों के चेक नकारने के लिए अपनी प्रतिक्रिया स्वयं निर्धारित करें।
- रिज़र्व बैंक ने 04 अगस्त 2016 को चयनित अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त संस्थाएओं (एआईएफआई) (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) को भारतीय लेखा मानक अपनाने के लिए सूचित किया।
- रिज़र्व बैंक ने 25 अगस्त 2016 को स्पष्ट किया कि उन मामलों में जहाँ एक व्युत्पन्नी संविदा पुनर्संरचित है, पुनर्संरचना की तारीख को संविदा के बाज़ार मूल्य को बही में अंकित कर नकद में निपटान किया जाना चाहिए।

सितंबर

- बैंकों को अपनी दबावग्रस्त आस्तियों से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता को मज़बूत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01 सितंबर को अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों के पोषण हेतु उन्नत संरचना स्थापित की।
- रिज़र्व बैंक ने 01 सितंबर 2016 को ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को निदेश दिया कि अनुरोध पर और अनुरोधकर्ता के उचित रूप से प्रमाणन के बाद उन व्यक्तियों को एक वर्ष में (जनवरी-दिसंबर) के बार मुफ्त पूर्ण ऋण रिपोर्ट (एफएफसीआर) प्रदान करें जिनके ऋण का इतिवृत्त सीआईसी के पास उपलब्ध है। यह 01 जनवरी 2017 से प्रभावी है।

(पृष्ठ 3 पर जारी)

डॉ. विरल वी. आचार्य भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर नियुक्त किए गए

केंद्रीय सरकार ने 28 दिसंबर 2016 को डॉ. विरल वी. आचार्य को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। डॉ. आचार्य जो वर्तमान में सी.वी. स्टार प्रोफेसर ऑफ इकॉनोमिक्स, वित्त विभाग, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनस के रूप में कार्यरत हैं, 20 जनवरी 2017 को कार्यभार ग्रहण करेंगे। उप गवर्नर के रूप में डॉ. आचार्य मौद्रिक नीति और अनुसंधान क्लस्टर का कार्य देखेंगे।

मौद्रिक नीति व्यवस्था में बदलाव

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत एमपीसी का गठन अधिसूचित किया गया

सितंबर

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 को वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 29 सितंबर 2016 को संशोधित किया गया जिससे कि वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता कायम रखने के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का सांविधिक और संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया जा सके। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति को विनिर्दिष्ट लक्ष्य स्तर के अंदर नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित बेंचमार्क नीति दर निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया। मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए समिति आधारित दृष्टिकोण से मौद्रिक नीति निर्णयों के महत्व और पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी। मौद्रिक नीति समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जाएंगी और यह प्रत्येक बैठक के बाद अपने निर्णयों को प्रकाशित करेगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के मौद्रिक नीति से संबंधित प्रावधानों को 27 जून 2016 को भारत के राजपत्र असाधारण में एक अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद, सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से शुरू करते हुए 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक की अवधि के लिए 5 अगस्त 2016 को भारत के राजपत्र असाधारण में मुद्रास्फीति लक्ष्य अधिसूचित किए थे जो निम्नानुसार हैं :

मुद्रास्फीति लक्ष्यः	चार प्रतिशत
ऊपरी सहनशीलता स्तरः	छह प्रतिशत
नीचला सहनशीलता स्तरः	2 प्रतिशत

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य रिज़र्व बैंक से होंगे और एमपीसी के अन्य तीन सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

क) भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर–अध्यक्ष, पदेन
ख) बैंक के उप गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी–सदस्य, पदेन
ग) केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक का एक अधिकारी–सदस्य, पदेन
घ) श्री चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई)–सदस्य
ङ) प्रोफेसर पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स–सदस्य
च) डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद–सदस्य

- मौद्रिक नीति समिति के केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य चार वर्ष की अवधि पर पद पर रहेंगे (स्रोतः पीआईबी प्रेस प्रकाशनी, दिनांक 29 सितंबर 2016 http://www.pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=155942)

अक्तूबर

- संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में 3 और 4 अक्टूबर 2016 को आयोजित की गई।
- संशोधित भारतीयरिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अनुसार, रिज़र्व बैंक इस मौद्रिक नीति समिति की प्रत्येक बैठक के चौदहवें दिन इस बैठक के कार्यवृत्त और कार्यवाहियों को प्रकाशित करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होगाः

(क)मौद्रिक नीति समिति की बैठक में किया गया संकल्प,
(ख)उपर्युक्त बैठक में लिए गए संकल्प पर मौद्रिक नीति समिति के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त वोट और
(ग) उपर्युक्त बैठक में लिए गए संकल्प पर धारा 45जेडआई की उप–धारा (11) के अंतर्गत मौद्रिक नीति समति के प्रत्येक सदस्य का वक्तव्य।

दिसंबर

- मौद्रिक नीति समिति की दूसरी बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में 6 और 7 दिसंबर 2016 को आयोजित की गई। इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे और इसकी अध्यक्षता डॉ. उर्जित आर. पटेल द्वारा की गई।

वर्ष 2016 में मौद्रिक नीति निर्णय

मौद्रिक नीति समीक्षा	चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीति रेपो दर	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवल मांग और समय देयताओं का नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर)	बैंकिंग प्रणाली के एनडीटीएल के 7 दिवसीय और 14 दिवसीय सावधि रेपो के अंतर्गत चलनिधि	एलएएफ के अंतर्गत ओवरनाइट रेपो के अंतर्गत चलनिधि
2 फरवरी 2016 को मौद्रिक नीति वक्तव्य	6.75 पर अपरिवर्तित	4.0 पर अपरिवर्तित	एनडीटीएल के 22.0 प्रतिशत से 50 आधार अंक कम करके 21.5 प्रतिशत किया गया	0.75 प्रतिशत तक की 14–दिवसीय मीयादी रेपो के साथ–साथ दीर्घावधिक रेपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा	एलएएफ रेपो दर पर बैंक–वार एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत पर ओवर नाइट रेपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा
5 अप्रैल 2016 को मौद्रिक नीति वक्तव्य	नीति रेपो दर को 6.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 6.5 प्रतिशत किया गया	4.0 पर अपरिवर्तित	एनडीटीएल के 21.5 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 21.25 प्रतिशत किया गया	यथास्थिति	यथास्थिति
7 जून 2016 को मौद्रिक नीति वक्तव्य	6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	4.0 पर अपरिवर्तित	21.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	यथास्थिति	यथास्थिति
9 अगस्त 2016 को मौद्रिक नीति वक्तव्य	6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	4.0 पर अपरिवर्तित	21.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	यथास्थिति	यथास्थिति
4 अक्तूबर 2016 को मौद्रिक नीति वक्तव्य	नीति रेपो दर को 6.5 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 6.25 प्रतिशत किया गया	4.0 पर अपरिवर्तित	एनडीटीएल के 21.25 प्रतिशत से 50 आधार अंक कम करके 20.75 प्रतिशत किया गया	यथास्थिति	यथास्थिति
7 दिसंबर 2016 को मौद्रिक नीति वक्तव्य	6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	4.0 पर अपरिवर्तित	20.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	यथास्थिति	यथास्थिति

मुद्रा प्रबंधन

जुलाई

- रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि 01 जुलाई 2016 से 2005-पूर्व बैंकनोटों को बदलने की सुविधा रिज़र्व बैंक के कुछ चयनित कार्यालयों पर ही उपलब्ध होगी।

नवंबर

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान शृंखला (विनिर्दिष्ट बैंक नोट) के ₹ 500 तथा ₹1000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट 9 नवंबर 2016 से वैध मुद्रा नहीं रहे। दिनांक 10 नवंबर 2016 को महात्मा गांधी (नई) शृंखला नामक एक नई शृंखला के बैंकनोट जारी किए गए जो विभिन्न आकार तथा बनावट के हैं जिसमें देश की सांस्कृतिक परम्परा और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।
- रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को सूचित किया कि वे अपने स्टाफ को आरबीआई की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/FQView.aspx?Id=119) पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) से अवगत कराएं और योजना की महत्वपूर्ण बातों, 2000 और 500 मूल्यवर्ग के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के नए बैंक नोटों की सुरक्षा लक्षणों और योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) पर सूचनाप्रद सामग्री की प्रतियां जनता में वितरित करें।
- रिज़र्व बैंक को पता लगा कि कतिपय स्थानों पर कुछ बैंक के शाखा अधिकारियों ने कुछ शरारती तत्वों के साथ मिलीभगत कर एसबीएन नकद बदलते/खातों में एसबीएन जमा लेते समय कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल थे। रिज़र्व बैंक ने 22 नवंबर 2016 को बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सतर्कता बढ़ाकर ऐसी कपटपूर्ण गतिविधियाँ रोकी जाएं और ऐसी गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

दिसंबर

- रिज़र्व बैंक ने 01 दिसंबर को सभी वाणिज्यिक बैंकों को सावधान किया कि केवल उन निर्देशों का पालन करें जो या तो आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर अपलोड किए गए हैं या आरबीआई के आधिकारिक मेल द्वारा ई-मेल किए गए हैं। बैंक अन्य असुरक्षित/अनौपचारिक माध्यमों जैसे सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं करें जहाँ प्रसारित दस्तावेज़ संदिग्ध होते हैं और जाँचने योग्य नहीं होते हैं। यह रिपोर्टें आई हैं कि जनता/बैंककर्मियों के मन में भ्रांति पैदा करने के लिए कुछ विवेकहीन तत्वों ने किन्हीं कतिपय दिशानिर्देशों/निर्देशों को आरबीआई द्वारा जारी बताकर सोशल मीडिया में प्रसारित किया है।
- भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों तथा जनता को योजना के परिचालन हेतु ढेरों सूचनाएं जारी कीं। इस विषय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी सूचनाएं (https://www.rbi.org.in/scripts/bsšviewcontent.aspx?Id=3270) पर ''वह सब जो आप 500 और 1000 के नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक से जानना चाहते थे'' के अंतर्गत उपलब्ध है।

(पृष्ठ 1 से जारी)

बैंकिंग विनियमन

- रिज़र्व बैंक ने 12 सितंबर 2016 को ईक्विटास स्माल फिनॉन्स बैंक लिमिटेड को भारत में लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के साथ कारोबार करने का लाइसेंस जारी किया।
- रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सभी भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा चूककर्ता उधारकर्ता/गारंटीकर्ता की तस्वीरों को समाचार पत्रों में अविवेकपूर्ण ढंग से प्रकाशित करने पर रोक लगाते हुए 29 सितंबर 2016 को दिशानिर्देश जारी किए।

अक्तूबर

- हाल के पॉलिसी विवरणों में रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित विभिन्न विकास और विनियामक नीति उपायों की प्रगति की समीक्षा करने और बैंकिंग संरचना को और सुदृढ़ करने के लिए नए कदम उठाने के लिए रिज़र्व बैंक ने 04 अक्तूबर 2016 को एक वक्तव्य जारी किया।
- रिज़र्व बैंक ने 6 अक्तूबर 2016 को 'लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश' और 'भुगतान बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश' जारी किया जो इन बैंकों के कारोबार की विभिन्न प्रकृति और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित होने के कारण जारी किया गया था।

नवंबर

- रिज़र्व बैंक ने 8 नवंबर 2016 को विभिन्न विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए विदेश में रूपए में मूल्यवर्गित बॉन्ड जारी कर निधि उगाहने की अनुमति बैंकों को दी।
- रिज़र्व बैंक ने 10 नवंबर 2016 को दबावग्रस्त आस्तियों के धारणीय संरचना (एस4ए) के लिए योजना संशोधित की जो इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित है।

दिसंबर

- रिज़र्व बैंक ने 07 दिसंबर 2016 को निर्णय लिया कि 10 दिसंबर 2016 से प्रारंभ पखवाडे से वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात की अपेक्षा हटा ली जाए। सभी अनुसूचित बैंकों से अपेक्षा की गई कि 26 नवंबर 2016 से प्रारंभ पखवाडे से 16 सितंबर 2016 और 11 नवंबर 2016 के बीच एनडीटीएल में वृद्धि का 100 प्रतिशत वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात के लिए बनाए रखा जाए।

बैंकिंग पर्यवेक्षण

जनवरी

- रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी 2016 से केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) का परिचालन शुरू किया।

जून

- रिज़र्व बैंक ने 02 जून 2016 को सभी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को साइबर खतरों से निपटने के लिए उचित रणनीति स्पष्ट करते हुए तुरंत साइबर-सुरक्षा नीति स्थापित करें।

अगस्त

- रिज़र्व बैंक ने 18 अगस्त 2016 को अपनी वेबसाइट पर भारत में कंपनी बांड के विकास पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट लगाई।

भुगतान और निपटान प्रणाली

फरवरी

- यह सुनिश्चित करने कि आरटीजीएस सेवाओं का पर्याप्त रूप से मूल्यनिर्धारण किया गया है, रिज़र्व बैंक ने 4 फरवरी 2016 को सदस्यों क लिए शुल्क संरचना संशोधित की और उनसे वसूले जान वाले प्रभारों को युक्तिसंगत बनाया।

मार्च

- रिज़र्व बैंक ने 8 मार्च 2016 को अपनी वेबसाइट पर कार्ड स्वीकृति बुनियादी सुविधा पर संकल्पना पेपर उपलब्ध कराया।
- रिज़र्व बैंक ने 17 मार्च 2016 को वॉक-इन-ग्राहकों द्वारा किए गए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) लेनदेन से संबंधित आंकड़ों को प्रस्तुत करना बंद किया।

मई

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 मई 2016 को प्राधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) के स्वैच्छिक अभ्यर्पण के बारे में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007(पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत प्राधिकृत सभी निकायों को दिशानिर्देश जारी किए।
- रिज़र्व बैंक ने 26 मई 2016 को भारत में बैंकों को और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि 30 सितंबर 2017 तक उनके द्वारा इंस्टाल/परिचालित सभी वर्तमान एटीएम ईएमवीचिप तथा पिन कार्ड के प्रसंस्करण में सक्षम हैं। सभी नए एटीएम प्रारंभ से ही ईएमवीचिप तथा पिन कार्ड के प्रसंस्करण में अनिवार्य रूप से सक्षम होने चाहिए।
- रिज़र्व बैंक ने 26 मई 2016 को यह सूचित किया कि सभी भूगौलिक स्थानों पर मर्चेंटस के वृहद समूह से कार्ड की स्वीकृति बढ़ाने हेतु और व्यापार लानेवाले मर्चेंट में बैंकों द्वारा प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए वे अपने बोर्ड द्वारा मर्चेंट पाने पर अनुमोदित नीति स्थापित करें।

जून

- रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2016 को अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली : विज़न-2018 प्रदर्शित किया। विज़न-2018 का उद्देश्य एक नकदरहित भारत के लिए सर्वोच्च श्रेणी के भुगतान एवं निपटान प्रणाली का निर्माण करना है।

अगस्त

- रिज़र्व बैंक ने 30 अगस्त 2016 को अधिसूचित किया कि भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट (बीबीपीओयू) के रूप में परिचालन के प्राधिकरण हेतु बैंक तथा बैंक से इत्तर प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

सितंबर

- कार्ड सहित लेनदेनों में सुरक्षा और बढ़ाने तथा जोखिम कम करने के उद्देश्य, साथ ही सभी विद्यमान मैगस्ट्रिप कार्डों को पूरी तरह बदलने की समयसीमा पूरी करने पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने 15 सितंबर 2016 को यह निर्णय लिया की नए कार्ड जारी करने और ईएमवी चिप तथा पिनकार्ड बदलने की समयसीमा के संबंध में आगे कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

अक्तूबर

- रिज़र्व बैंक ने 20 अक्तूबर 2016 को यह निर्णय लिया कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत दंड/जुर्माना लगाने के लिए और अधिनियम के अंतर्गत किए गए उल्लंघनों/अपराधों के आकलन के लिए एक संरचना गठित की जाए।

दिसंबर

- रिज़र्व बैंक ने 06 दिसंबर 2016 को यह निर्णय लिया कि ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुसार समुचित सावधानी के बाद ही बैंकों के निष्क्रिय खातों में परिचालन करने दिया

- सरकार तथा रिज़र्व बैंक ने विभिन्न पण्यधारकों के परामर्श से समाज के बड़े भाग को डिजीटल भुगतान अपनाने के लिए जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

फरवरी

- रिज़र्व बैंक ने 11 फरवरी 2016 को विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (एफईटीआरएस) के अंतर्गत रिपोर्टिंग हेतु आर-रिटर्न्स के संकलन के दिशानिर्देशों में संशोधन किया।

अप्रैल

- रिज़र्व बैंक ने 13 अप्रैल 2016 को उन भारतीय पार्टी (आईपी)/निवासी व्यक्ति (आरआई) के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) में वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) प्रस्तुत करने संबंधी संशोधित अनुदेश जारी किए जिनको भारत से बाहर स्थापित या आईपी/आरआई द्वारा अधिग्रहित प्रत्येक संयुक्त उद्यम (जेवी)/संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था(डब्ल्यूओएस) के संबंध में प्रत्येक वर्ष 30 जून तक रिज़र्व बैंक को एपीआर प्रस्तुत करनी होती है।
- रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 21 अप्रैल 2016 को निर्णय लिया कि सेबी या अन्य किसी सक्षम प्राधिकरण में पंजीकृत और नियंत्रित निवेश व्हीकलों की ईकाईयों में विदेशी निवेश की अनुमति दी जाए।
- रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2016 को सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 के बारे में सूचित किया जिसमें आयात के भुगतान और संबंधित विवरणियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, पद्धति/तरीके का प्रावधान है।

मई

- रिज़र्व बैंक ने भारत के बाहर निवास कर रहे व्यक्ति द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ) या संपर्क कार्यालय(एलओ) या परियोजना कार्यालय खोलने हेतु प्रक्रिया पर 12 मई 2016 को दिशानिर्देश जारी किए।

जून

- भारत सरकार की नव लघु उद्यम पहल के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2016 को यह निर्णय लिया है कि विदेशी शाखा वाला कोई भारतीय नव लघु उद्यम भारत के बाहर किसी बैंक के साथ एक विदेशी मुद्रा खाता खोल सकेगा ताकि उक्त उद्यम या उसकी विदेशी शाखा निर्यात/बिक्री से विदेशी मुद्रा में हुई उसकी आमदनी इस खाते में जमा कर सके।

अक्तूबर

- रिज़र्व बैंक ने 6 अक्तूबर 2016 को सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों को सूचित किया कि आयात लेनदेनों की रिपोर्टिंग और निगरानी के प्रयोग के लिए इम्पोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मोनिटरिंग सिस्टम (आईडीपीएमएस) 10 अक्तूबर 2016 से चालू हो जाएगा।
- रिज़र्व बैंक नए भारत सरकार के परामर्श से 27 अक्तूबर को प्राधिकृत व्यापारी(एडी) श्रेणी-ख बैंक को विनिर्दिष्ट संरचना के भीतर बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) उत्पन्न करने के लिए लघु उद्यम की अनुमति दी।

वित्तीय समावेशन और विकास

जनवरी

- विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए टेलर्ड दृष्टिकोण अपनाने और वित्तीय साक्षरता कैंपों के संचालन के दौरान विभिन्न स्टेकधारकों के बीच जमीनी स्तर पर पर्याप्त तालमेल (सिंक्रोनाइजेशन) सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 4 जनवरी 2016 को अग्रणी बैंकों के वित्तीय साक्षरता केंद्रों हेतु दिशानिर्देश संशोधित किए।
- रिज़र्व बैंक ने 21 जनवरी 2016 को सभी सहकारी बैंकों को सूचित किया कि वे भुगतान हेतु राष्ट्रीय कैलेंडर (सक संवत) के अनुसार डाली हुई तारीख के चेकों को स्वीकार करें।

मार्च

- रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्य, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से 17 मार्च 2016 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुत्थान और पुनर्वास के लिए संशोधित ढांचा बनाया तथा इसके परिचालन अनुदेश भी जारी किए।

अप्रैल

- रिज़र्व बैंक ने 7 अप्रैल 2016 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) में कारोबार करने संबंधी अनुदेश जारी किए।
- रिज़र्व बैंक ने 21 अप्रैल 2016 को बैंकों को उनके स्वयं के हित और जनहित में ग्राहक शिक्षण प्रयास के रूप में सूचित किया कि वे जनता को फर्जी योजना के बारे में सावधान करने के लिए उचित पोस्टर या पम्फलेट या फ्लायर या सूचना तैयार करने पर विचार करें।

जून

- रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2016 को सभी वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया कि वे सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करें और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों द्वारा सामना कर रही कठिनाईयों पर विचार करते हुए बीमा के दावों की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना ही पुनर्संरचना तथा नए ऋण प्रदान करने पर विचार करें।

अगस्त

- रिज़र्व बैंक ने 04 अगस्त 2016 को अधिसूचित किया कि भारत सरकार ने ₹3 लाख तक के लघु अवधि फसल ऋण के लिए वर्ष 2016-2017 हेतु ब्याज अनुदान योजना के कार्यान्वयन का अनुमोदन दिया है।

दिसंबर

- विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की वैध मुद्रा स्थिति को वापस लेने के कारण किसानों द्वारा समय पर ऋण चुकाने में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 26 दिसंबर 2016 को यह निर्णय लिया कि उन किसानों को 3% शीघ्र चुकौती प्रोत्साहन के लिए 60 दिन की अतिरिक्त अनुग्रह अवधि दी जाए जिनका कृषि ऋण 01 नवंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 के बीच चुकौती के लिए नियत है बशर्ते ऐसे किसान उक्त अवधि से 60 दिन के भीतर इसे चुका दें।

वित्तीय बाज़ार विनियमन

जुलाई

- रिज़र्व बैंक ने 28 जुलाई 2016 को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड (एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेप सेवा (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) के डीमेट खाताधारकों को नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) मंच पर सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार करने की अनुमति दी।

अक्तूबर

- रिज़र्व बैंक ने 20 अक्तूबर 2016 को द्वितीय बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों का नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम आर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) के प्राथमिक सदस्यों के माध्यम से फ़ॉरेन पोटर्फोलियो इंनवेस्टर (एफपीआई) को कारोबार की अनुमति दी जिसमें वेब-मोड्यूल भी सम्मिलित है।
- रिज़र्व बैंक ने 28 अक्तूबर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्राधिकृत शेयर बाज़ारों ब्याज दर फ्यूचर्स प्रारंभ किए जो किसी भी रूपए में मूल्यवर्गित मुद्रा बाज़ार ब्याज दर पर या मुद्रा बाज़ार लिखत पर आधारित है।

नववर्ष 2017 की हार्दिक शुभकामनाएँ

गैर-बैंकिंग विनियमन

फरवरी

- रिज़र्व बैंक ने 18 फरवरी 2016 को जनहित में निर्णय लिया कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए उपस्थिति बिंदु (पीओपी) सेवाएं नहीं करेंगे।
- रिज़र्व बैंक ने 18 फरवरी 2016 को धोखाधड़ियों की रिपोर्टिंग करने और धोखाधड़ियों पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु श्रेशोल्ड में संशोधन किया।

अप्रैल

- रिज़र्व बैंक ने 13 अप्रैल 2016 को एनबीएफसी-एमएफआई को अनुमति दी कि वे केंद्रीय/राज्य सरकार एजेंसियों की विशेष योजनाओं के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अधीन आबादी के लक्षित सामाजिक-आर्थिक वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए चैनेलाइजिंग एजेंटों के रूप में कार्य करें।

जून

- रिज़र्व बैंक ने 02 जून 2016 को सभी एनबीएफसी को सूचित किया कि आगे से बैंकिंग परिचालन विभाग द्वारा जारी सभी निर्देश तथा दबावग्रस्त आस्तियों के पुन:सुदृढ़ करने की संरचना परियोजना ऋणों के पुनर्वित्त के संदर्भ में परियोजना ऋणों की पुनर्वित्त गतिविधियों, गैर-निष्पादन आस्तियों की बिक्री तथा अन्य विनियामक कदम सभी एनबीएफसी पर लागू होंगे।
- नए गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुगम और झंझटरहित बनाने के उद्देश्य से नए एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन का आवेदन फार्म तथा प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेज़ों की जाँचसूची का संशोधन किया गया है। संशोधन प्रक्रिया के दौरान एनबीएफसी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की संख्या 45 दस्तावेज़ों के सेट से घटाकर 7-8 कर दी गई है। इसके अलावा 17 जून 2016 से निधि के स्रोत और ग्राहक इंटरफेस के आधार पर गैर-जमा लेनेवाले एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) के लिए आवेदन के दो विभिन्न प्रकार हैं।

सहकारी बैंकिंग विनियमन

जुलाई

- राज्य तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/सीसीबी) को अधिक हित प्रदान करते हुए रिज़र्व बैंक ने 14 जुलाई 2016 को सूचित किया कि एसटीसीबी/सीसीबी सांविधिक चलनिधि अनुपात से इत्तर लिखत में भी निवेश कर सकते हैं।

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।